

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव

काउंसलिंग महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थानसमिति
(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)

ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

website - eklavya.cg.nic.in - 2263708 Fax - 2262558

E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक / File No.:STU/183/2026/Comp. No.:380430

नवा रायपुर, दिनांक /06/2026

प्रति,

1. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति.....
जिला—..... (छ.ग.)
2. सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,
जिला—बिलासपुर, (छ.ग.)
3. प्रशासकीय अधिकारी,
प्रयास आवासीय विद्यालय,
बिलासपुर, जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
4. प्राचार्य,
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,
जिला—..... (छ.ग.)

विषय :- शिक्षण सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं प्रवेश हेतु काउंसलिंग की तिथि निर्धारित एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाने बाबत।

- संदर्भ :-1. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS का पत्र क्रमांक F.No.NESTS/EMRS/Admissions/140/2021-22/1952,दिनांक 08.12.2025
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / File No.:STU/183/2026/Comp. No.:380430, दिनांक 11.06.2026

—00—

विषयांतर्गतभारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा शिक्षण सत्र 2026-27 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु नवीन प्रवेश दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसी प्रकार संदर्भित पत्र क्रमांक 02 द्वारा कक्षा 6वीं में प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु काउंसलिंग से संबंधित एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गई है साथ ही प्रवेश की प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने उद्देश्य से अधिकृत वेब पोर्टल eklavya.cg.nic.in में ऑनलाईन काउंसलिंग की प्रक्रिया से आपको प्रशिक्षित किया जा चुका है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आयोजित प्राक्चयन परीक्षा परिणाम में प्रावीण्य सूची (Merit List) के आधार पर प्रतीक्षा सूची सहित काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों की जिलावार सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार कक्षा 6वीं प्रवेश के लिये काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं काउंसलिंग हेतु निम्नानुसार तिथियाँ निर्धारित की जाती हैं :-

क्रं.	काउंसलिंग हेतु स्तर	काउंसलिंग की तिथि	काउंसलिंग का स्थान	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	विकासखंड स्तर	दिनांक 30.06.2026 एवं 01.07.2026	जिलों में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	
2	जिला स्तर	02.07.2026		

//2//

क्रं.	काउंसलिंग हेतु स्तर	काउंसलिंग की तिथि	काउंसलिंग का स्थान	रिमार्क
1	2	3	4	5
3	राज्य स्तर	03.07.2026	जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं जिला-बिलासपुर हेतु प्रयास आवासीय विद्यालय	
4	विशेष पिछड़ी जनजाति समूह एवं प्रवेश दिशा-निर्देश में दर्शित विशेष आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु	04.07.2026		
5	आरक्षित दिवस (Reserve day)	06.07.2026	जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	वह अभ्यर्थी, जो दिनांक 30.06.2026 से दिनांक 04.07.2026 तक की अवधि में काउंसलिंग में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाये है।

उपरोक्त प्रवेश प्रक्रिया को सुचारु, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने हेतु समस्त संस्था प्रमुख/प्राचार्य काउंसलिंग से संबंधित निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया जाता है :-

1. जिलों में संचालित समस्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं जिला-बिलासपुर हेतु प्रयास आवासीय विद्यालय में निर्धारित तिथियों में समय 10:00 बजे से 04:00 तक काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया जावेगा।
2. काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिनांक 30.06.2026 से 06.07.2026 के भीतर आरक्षित दिवस के अतिरिक्त किसी कारणवश अन्य दिवस में अभ्यर्थियों के उपस्थित होने पर उन्हें किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग से वंचित नहीं किया जावे।
3. कक्षा 6वीं प्रवेश के लिये काउंसलिंग से संबंधित समस्त प्रक्रिया हेतु संबंधित संस्था प्रमुख/प्राचार्य को नोडल अधिकारी होंगे एवं आवश्यकतानुरूप कर्मचारियों की ड्यूटी लगाया जाकर काउंसलिंग की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपादित करेंगे।
4. कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जारी विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सूक्ष्मता से अध्ययन कर SOP अनुसार ही काउंसलिंग की कार्यवाही निर्धारित तिथियों में सुनिश्चित की जावे।
5. काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों के मूल निवास, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, कक्षा 5वीं की अंकसूची, आधार कार्ड तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का सूक्ष्मता से सत्यापन किया जाए।
6. काउंसलिंग की समय-सीमा का स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों, सोशल मीडिया इत्यादि में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

//3//

शिक्षण सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं की मेरिट सूची में शामिल समस्त अभ्यर्थियों/अभिभावकों को दूरभाष, एस.एम.एस.(SMS), पंजीकृत डाक एवं विद्यालय/कार्यालय के सूचना पटल पर काउंसलिंग तिथि की समय-पूर्व सूचना दिया जावे, जिससे निर्धारित तिथि व समय-सीमा के भीतर काउंसलिंग का कार्य पूर्ण हो सके।

उपरोक्तानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने पश्चात् राज्य स्तर से अभ्यर्थियों को ऑनलाईन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जावेगी। कक्षा 6वीं प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित विद्यालय में प्रवेश की पुष्टि ऑनलाईन पोर्टल में किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर रिक्त सीटों पर पुनः काउंसलिंग सत्र आयोजित किये जाने हेतु राज्य स्तर से कार्यक्रम किया जाकर आपको सूचित किया जावेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये समय-सीमा के भीतर काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें। काउंसलिंग प्रक्रिया में उदासीनता/अनियमितता पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

आयुक्त/पदेन सचिव

छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक /06/2026

पृ.क्रमांक / File No.:STU/183/2026/Comp. No.:380430

प्रतिलिपि:-

1. **निज सहायक, प्रमुख सचिव**, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. **आयुक्त**, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, (NESTS) जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली, की सूचनार्थ।
3. **कलेक्टर/अध्यक्ष**, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति.....
....., जिला-..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. **वरिष्ठ तकनीकी निदेशक**, NIC, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ०ग०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि वेब पोर्टल eklavya.cg.nic.in में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन काउंसलिंग किये जाने में किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान हेतु संबंधित वेब डेवलपर को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सही/-

आयुक्त/पदेन सचिव

छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर